चुनाव अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.12(6)साप्र/2/2023 जयपुर, दिनांक: 27.12.23

– : आदेश :–

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के अनुसार राज्य के 08 जिलों (अजमेर, बांसवाडा, बीकानेर, दौसा, धौलपुर, डीडवाना–कुचामनसिटी/नागौर, पाली, सवाईमाधोपुर) में नगरीय निकायों के 08 सदस्यों के रिक्त पदों पर उप चुनाव माह जनवरी, 2024 में करवाये जाने से संबंधित प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त नगरीय निकायों में घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की लोकसूचना दिनांक 26.12.2023 को जारी होगी एवं मतदान दिनांक 10.01.2024 (बुधवार) को होगा। अतः आदर्श आचार संहिता के भाग–7 की पालना सुनिश्चित करने का श्रम करें:–

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेगें। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो वे किसी सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते है तो उस पर लालबत्ती या सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाएें।
4. माननीय मंत्रीगण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने की दृष्टि से नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. सरकारी अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेगें।
उक्त आदर्श संहिता बोर्ड/निगम के अध्यक्ष, जिन्हें मंत्री/राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त है पर भी समान रूप से लागू होंगे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(मनमोहन गौड़)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान ।
9. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग,राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र कमांक 5374 दिनांक 19.12.2023 के कम में।
10. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव /विशिष्ठ शासन सचिवगण।
11. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निबन्धक ,राजस्व मण्डल, अजमेर।

1\. संम्भागीय आयुक्त अजमेर, बांसवाडा, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, पाली ।

2\. जिला कलक्टर अजमेर, बांसवाडा, बीकानेर, दौसा, धौलपुर, डीडवाना–कुचामनसिटी/नागौर, पाली, सवाईमाधोपुर।

13\. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।

14\. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

15\. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।

16\. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक।

17\. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।

18\. रक्षित पत्रावली ।

RajKaj Ref
5215158

Signature valid
Digitally signed by Man Mohan Gour
Designation: Assistant Secretary
Date: 2023.12.27 17:37:05 IST
Reason: Approved

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकःएफ.4(2)(2)नपा / रानिआ / 2023 / 5374 दिनांकः– 19.12.23

प्रमुख शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :– नगरीय निकायों के उपचुनाव माह जनवरी, 2024 – आदर्श आचरण संहिता की पालना बाबत्।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के 08 जिलों में नगरीय निकायों के 08 सदस्यों के रिक्त पद पर उपचुनाव कराने हेतु चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की लोकसूचना दिनांक 26.12.2023 को जारी होगी एवं मतदान दिनांक 10.01.2024 को होगा। रिक्त पदों की सूची एवं उपचुनाव हेतु कार्यक्रम पत्र के साथ संलग्न है।

घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में लागू हो गये हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। अतः आदर्श आचरण संहिता के भाग–7 की पालना सुनिश्चित करवायी जावे। आदर्श आचरण संहिता की पालना हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर भी राजकीय आदेश प्रसारित करना वांछनीय है :–

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेंगे। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते हैं तो उस पर सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाऐं।
4. माननीय मंत्री गण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलो या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने की दृष्टि से नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जावेगी, लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. निर्वाचन से जुडे सरकारी अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेंगे।

उपरोक्तानुसार निर्देश प्रसारित कर आयोग को भी अवगत करावें।

संलग्नः– 1. चुनाव कार्यक्रम एवं रिक्त पदों की सूची।
2. आदर्श आचरण संहिता की पुस्तिका

आज्ञा से,

(नारायण सिंह)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकःएफ.4(2)(2)नपा / रानिआ / 2023 / 5375 दिनांकः– 19.12.23

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, दौसा, धौलपुर, डीडवाना–कुचामन / नागौर, पाली, एवं सवाई माधोपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अंजू वर्मा)
सहायक सचिव

E:\NAGARPALIKA\00 NP\0 NP Main folder\By Election 2018-2020\F4(2)(2) NP SEC 2023_bye-election , 2023.doc
111

परिशिष्ट–'अ'

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

नगरीय निकायों के उप चुनाव –जनवरी, 2024
उप चुनाव हेतु रिक्त वार्डों की सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	क्र. स.	नगरनिगम/नगर परिषद/नगरपालिका का नाम	रिक्त वार्ड का विवरण
1.	अजमेर	1.	न.प. केकडी	09
2.	बांसवाडा	2.	न.प. बांसवाडा	09
3.	बीकानेर	3.	न.पा. श्रीडूंगरगढ	03
4.	दौसा	4.	न.पा. महवा	14
5.	धौलपुर	5.	न.प. धौलपुर	51
6.	डीडवाना–कुचामनसिटी / नागौर	6.	न.प. कुचामनसिटी	07
7.	पाली	7.	न.पा. तख्तगढ़	17
8.	सवाई माधोपुर	8.	न.प. सवाई माधोपुर	05

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

नगरीय निकाय के उपचुनाव माह जनवरी, 2024 –

उपचुनाव कार्यक्रम

क्र. स.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	26.12.2023 (मंगलवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	30.12.2023 (शनिवार) **प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक**
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	01.01.2024 (सोमवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि	03.01.2024 (बुधवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	04.01.2024 (गुरूवार)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	10.01.2024 (बुधवार) प्रातः 08.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	11.01.2024 (गुरूवार) **प्रातः 9.00 बजे से**

<u>चुनाव अत्यावश्यक</u>

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प. 12(6)साप्र/2/2023 जयपुर, दिनांकः 27·12·23

– : आदेश :–

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के तहत राज्य के 08 जिलों (अजमेर, बांसवाडा, बीकानेर, दौसा, धौलपुर, डीडवाना–कुचामनसिटी/नागौर, पाली, सवाईमाधोपुर) में नगरीय निकायों के 08 सदस्यों के रिक्त पदों पर उप चुनाव माह जनवरी, 2024 में करवाये जा रहें है (प्रति सलंग्न)। उक्त नगरीय निकायों में मतदान दिनांक 10.01.2024 (बुधवार) को होगा। अतः मतदान दिवस दिनांक 10.01.2024 (बुधवार) को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु भी संबंधित जिला कलक्टर, (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(मनमोहन गौड़)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
8. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, राजस्थान, जयपुर।
9. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 5376 दिनांक 19.12.2023 के क्रम में।
10. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव /विशिष्ठ शासन सचिवगण।
11. संम्भागीय आयुक्त अजमेर, बांसवाडा, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, पाली ।
12. जिला कलक्टर अजमेर, बांसवाडा, बीकानेर, दौसा, धौलपुर, डीडवाना–कुचामनसिटी/नागौर, पाली, सवाईमाधोपुर।
13. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
14. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
15. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
16. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
17. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।

उप शासन सचिव

RajKaj Ref
5215097

Signature valid
Digitally signed by Man Mohan Gour
Designation : Assistant Secretary
Date: 2023.12.27 1[illegible]:36:38 IST
Reason: Approved

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in 0141-2227280, 2227072

क्रमांकःएफ.4(2)(2)नपा / रानिआ / 2023 / 5376 दिनांकः– 19.12.23

प्रमुख शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
सचिवालय, जयपुर।

विषय :– नगरीय निकायों के उपचुनाव माह जनवरी, 2024 – मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने बाबत्।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के 08 जिलों में नगरीय निकायों के 08 सदस्यों के रिक्त पद पर उपचुनाव कराने हेतु चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की लोकसूचना दिनांक 26.12.2023 को जारी होगी एवं मतदान दिनांक 10.01.2024 को होगा। रिक्त पदों की सूची एवं उपचुनाव हेतु कार्यक्रम पत्र के साथ संलग्न है।

अतः मतदान दिवस दिनांक 10.01.2024 को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित करवावें। यदि कहीं किसी कारण से पुर्नमतदान की स्थिति बनती है तो पुर्नमतदान दिवस पर भी संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित करवाने का कष्ट करावें।

संलग्न :– रिक्त पदों की सूची एवं चुनाव कार्यक्रम।

भवदीय,

(नारायण सिंह)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकःएफ.4(2)(2)नपा / रानिआ / 2023 / 5377 दिनांकः– 19.12.23

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, दौसा, धौलपुर, डीडवाना–कुचामन / नागौर, पाली, एवं सवाई माधोपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अंजू वर्मा)
सहायक सचिव

E:\NAGARPALIKA\00 NP\0 NP Main folder\By Election 2018-2020\F4(2)(2) NP SEC 2023_bye-election , 2023.doc
112